Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 2 | FEBRUARY 2023

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका

डॉ. बीना महलावत [1]

[1] पीडीएफ स्कॉलर, ICSSR, नई दिल्ली राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

ABSTRACT:

भारतवर्ष एक सम्पन्न परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों से समृद्ध देश है, जहां महिलाओं का समाज में प्रमुख स्थान रहा है। ग्रामीण परिदृश्य में महिलाओं की बड़ी आबादी है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण करना सतत विकास लक्ष्यों में एक प्रमुखता है। वर्तमान में प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। कोविड–19 के दौरान कोरोना योद्धाओं के रूप में महिलाओं डाक्टरों, नर्सो, आशा वर्करों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व समाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की प्रवाह न करते हुए मरीजों को सेवाएं दी। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में भी महिला कार्यकर्ताओं ने अहम भूमिका निभाई। महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्रों मे पांव रखने के लिए महिला स्टार्ट–अप महत्वपूर्ण है। सरकार के निरन्तर आर्थिक सहयोग से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में उनकी भागीदारी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 6–7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों का अभियान और तेज हुआ है। आज देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं।

KEYWORDS:

आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण महिला, महिला उद्यमिता।

प्रस्तावना

भारतभूमि से निःसृत **"आत्म दीपो भव"** का मंत्र आत्मनिर्भरता के महत्व का उद्घोष करते हुए सशक्त, समर्थ व प्राणवंत जीवन के लिए हमें प्रेरित करता है। आत्मनिर्भरता की शक्ति से व्यक्ति मुश्किल समय में भी बड़ी–बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रगति का पथ ग्रशस्त करता है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में आत्मनिर्भरता का काफी महत्व है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता उसे समृद्ध एवं सशक्त बनाती है।

आत्मनिर्भरता से अभिप्राय है स्वयं पर निर्भर होना। देश में अपने संसाधनों से हर वस्तु का निर्माण करना आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से काम लेकर काम चलाने में नहीं यह आत्मनिर्भरता ही है जो राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है। सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास, आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आत्मनिर्भरता का प्रमुख उद्देश्य है।

देश ने स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल की है। हालांकि शहरों के तेज विकास से बड़े पैमाने पर ग्रामीण निर्धनों का शहरों की ओर पलायन हुआ है। इसलिये भारत सरकार ने विकास का लाभ गांवो के हर कोने तक पहुंचाने के ठोस उपाय किये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन आसान बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानिक विकास की पहल की है और सतत सक्रिय ग्रामीण समुदाय स्थापित करने के प्रयास किये हैं जिसमें (क) लोग जीवन और कार्यों का आनंद उठायें, (ख) उत्तम गुणवत्ता की व्यापक सेवाओं के साथ सक्रियता और विशिष्टता हासिल करें, तथा (ग) जिसमें जलवायु की चुनौतियों से निपटने के लिये स्थानीय पर्यावरण, विरासत और जैव विविधता में संवृद्धि की गयी हो और ग्रामीण स्थानिक आयोजन कार्यक्रम से आर्थिक बदलाव आ रहा हो। संविधान द्वारा पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों से यह स्वाभाविक रूप से पंचायतों का दायित्व हो गया है कि वे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शुरू की गयी स्थानिक विकास योजनाओं की तरह अपने गांवों के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक विकास करने में सक्षम बनें। वास्तव में इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गो या प्रमुख राज्य राजमार्गों पर स्थित ग्राम पंचायतों की उच्च वृद्धि क्षमता का लाभ उठाना, प्रणालीबद्ध नियोजित अवसंरचना विकास के साथ जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना, पंचायत की स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता देना, सुविधाओं के प्रभावी वितरण से संसाधन प्रबंधन में सुधार, भविष्य के नीतिगत निर्णयों की रूपरेखा सृजित करने के लिये स्थानीय पहचान को मजबूती देना, और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते मकानों की व्यवस्था के साथ बेहतर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संवहनीयता सुनिश्चित करना है। इससे सामुदायिक सेवाओं और रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा जिससे ग्रामीण समुदायों में विविध सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होंगे और शहरों की तरफ पलायन रुकेगा।

आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य रोज़गार से जुड़े अलग–अलग तरह के अवसर प्रदान कर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति बेहतर करना है। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के ज़रिए ग्रामीण रोज़गार पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हुआ है और भारत में महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है। इन उपायों से शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और आजीविका से जुड़े अलग–अलग अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में शुरू की गई इन योजनाओं से आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उनका जीवन–स्तर बेहतर हुआ है। अतः अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण काफी अहम है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी

पिछले दशक के दौरान शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर आबादी में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। साल 2001 में ग्रामीण और शहरी आबादी क्रमशः 74.3 करोड़ और 28.6 करोड़ थी, जबकि 2011 में यह आंकड़ा क्रमशः 83.3 करोड़ और 37.7 करोड़ हो गया (जनगणना 2011)। इसी दौरान शहरी पुरुष और ग्रामीण पुरुष, दोनों का कार्यबल में भागीदारी का प्रतिशत बराबर था, जबकि कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी शहरी महिलाओं के मुकाबले काफी ज़्यादा थी। वर्ष 2011–12 में शहरी पुरुष और शहरी महिला कार्यबल भागीदारी दर क्रमशः 54.6 प्रतिशत एवं 14.7 प्रतिशत जबकि ग्रामीण पुरुष और ग्रामीण महिलाओं के मामले में यह दर क्रमशः 54.3 प्रतिशत और 24.8 प्रतिशत थी।

ग्रामीण समुदायों में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र ही आर्थिक रूप से सक्रिय 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन हैं। इनमें से 33 प्रतिशत महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं, जबकि 48 प्रतिशत की खुद की खेती है। महिलाएं बड़े पैमाने पर कृषि संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, प्रमुख फसलों के उत्पादन, बुआई, गोबर की खाद बनाने, खाद/कीटनाशकों के इस्तेमाल, बीज के चुनाव, आरोपण, थ्रेशिंग, ओसाई आदि में महिलाओं की भूमिका अहम है। ये महिलाएं पशुओं की देखभाल, दूध उत्पादन, मछली पालन, लकड़ियां चुनने आदि कार्यो में भी सक्रिय हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, साल 2004–05 और 2011–12 के दौरान ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की संख्या में बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिली। इस अवधि में बड़ी संख्या में महिलाएं कृषि कार्यो से अलग हुईं। इसके बावजूद कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। ग्रामीण महिलाओं के खेती संबंधी पारंपरिक कौशल से गरीबी और भुखमरी को कम करने में मदद मिली है। अतः, ज़मीनी स्तर पर महिला केंद्रित सुधारों संबंधी पहल जिसमें संसाधनों की उपलब्धता, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में बेहतर अवसर सुनिश्चित हो, से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में 2.5 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। कृषि जनगणना 2010–11 की रिपोर्ट अनुसार 118.7 मिलियन किसानों में से 30.3 प्रतिशत महिलाएँ थीं। 2015–16 में महिला किसानों की संख्या

2.02 करोड़ हो गयी। इससे पता चलता है कि कृषि भूमि के प्रबंधन और रखरखाव में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार लगातार बढ़ रही है। भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं का सबसे अधिक हाथ होता है। 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण महिलाए अपनी आजीविका के लिए खेती करती हैं।[1]

मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका

वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पिछले एक दशक में 56.62 प्रतिशत पर सबसे ज्यादा रही है। यह आंकड़ा 2012–13 में 51.30 प्रतिशत था।

संख्या	राज्य	2012–13 (प्रतिशत)	2022–23 (प्रतिशत)
1	मेघालय	41.07	51.57
2	त्रिपुरा	41.08	48.20
3	झारखंड	32.71	47.33
4	कर्नाटक	46.25	51.63
5	महाराष्ट्र	44.55	45.00
6	उत्तराखंड	46.93	55.95
7	ओडिशा	35.95	47.84
8	पश्चिम बंगाल	33.71	47.94
9	पंजाब	46.36	66.09

योजना के तहत राज्यों में महिलाओं की कुल भागीदारी

संख्या	वर्ष	प्रतिशत
1	2021-22	54.78
2	2020-21	53.19
3	2019-20	54.78
4	2018-19	54.59
5	2017-18	53.53
6	2016-17	56.21
7	2015-16	55.34
8	2014-15	55.04
9	2013-14	52.82
10	2012-13	51.00

आत्मनिर्भरता से अभिप्राय है स्वयं पर निर्भर होना। देश में अपने संसाधनों से हर वस्तु का निर्माण करना आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है दूसरों से काम लेकर काम चलाने में नहीं यह आत्मनिर्भरता ही है जो राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है। सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास, आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है। सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आत्मनिर्भरता का प्रमुख उद्देश्य है।

देश ने स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल की है। हालांकि शहरों के तेज विकास से बड़े पैमाने पर ग्रामीण निर्धनों का शहरों की ओर पलायन हुआ है। इसलिये भारत सरकार ने विकास का लाभ गांवो के हर कोने तक पहुंचाने के ठोस उपाय किये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन आसान बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानिक विकास की पहल की है और सतत सक्रिय ग्रामीण समुदाय स्थापित करने के प्रयास किये हैं जिसमें (क) लोग जीवन और कार्यों का आनंद उठायें, (ख) उत्तम गुणवत्ता की व्यापक सेवाओं के साथ सक्रियता और विशिष्टता हासिल करें, तथा (ग) जिसमें जलवायु की चुनौतियों से निपटने के लिये स्थानीय पर्यावरण, विरासत और जैव विविधता में संवृद्धि की गयी हो और ग्रामीण स्थानिक आयोजन कार्यक्रम से आर्थिक बदलाव आ रहा हो। संविधान द्वारा पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों से यह स्वाभाविक रूप से पंचायतों का दायित्व हो गया है कि वे शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शुरू की गयी स्थानिक विकास योजनाओं की तरह अपने गांवों के सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक विकास करने में सक्षम बनें। वास्तव में इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गो या प्रमुख राज्य राजमार्गों पर स्थित ग्राम पंचायतों की उच्च वृद्धि क्षमता का लाभ उठाना, प्रणालीबद्ध नियोजित अवसंरचना विकास के साथ जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना, पंचायत की स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता देना, सुविधाओं के प्रभावी वितरण से संसाधन प्रबंधन में सुधार, भविष्य के नीतिगत निर्णयों की रूपरेखा सृजित करने के लिये स्थानीय पहचान को मजबूती देना, और ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते मकानों की व्यवस्था के साथ बेहतर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संवहनीयता सुनिश्चित करना है। इससे सामुदायिक सेवाओं और रोजगार के अवसरों में विस्तार होगा जिससे ग्रामीण समुदायों में विविध सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल होंगे और शहरों की तरफ पलायन रुकेगा।

आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य रोज़गार से जुड़े अलग–अलग तरह के अवसर प्रदान कर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति बेहतर करना है। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के ज़रिए ग्रामीण रोज़गार पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर हुआ है और भारत में महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुआ है। इन उपायों से शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और आजीविका से जुड़े अलग–अलग अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में शुरू की गई इन योजनाओं से आर्थिक गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उनका जीवन–स्तर बेहतर हुआ है। अतः अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने, गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने और 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण काफी अहम है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी

पिछले दशक के दौरान शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर आबादी में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। साल 2001 में ग्रामीण और शहरी आबादी क्रमशः 74.3 करोड़ और 28.6 करोड़ थी, जबकि 2011 में यह आंकड़ा क्रमशः 83.3 करोड़ और 37.7 करोड़ हो गया (जनगणना 2011)। इसी दौरान शहरी पुरुष और ग्रामीण पुरुष, दोनों का कार्यबल में भागीदारी का प्रतिशत बराबर था, जबकि कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी शहरी महिलाओं के मुकाबले काफी ज़्यादा थी। वर्ष 2011–12 में शहरी पुरुष और शहरी महिला कार्यबल भागीदारी दर क्रमशः 54.6 प्रतिशत एवं 14.7 प्रतिशत जबकि ग्रामीण पुरुष और ग्रामीण महिलाओं के मामले में यह दर क्रमशः 54.3 प्रतिशत और 24.8 प्रतिशत थी।

ग्रामीण समुदायों में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र ही आर्थिक रूप से सक्रिय 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का मुख्य साधन हैं। इनमें से 33 प्रतिशत महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं, जबकि 48 प्रतिशत की खुद की खेती है। महिलाएं बड़े पैमाने पर कृषि संबधी गतिविधियों से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, प्रमुख फसलों के उत्पादन, बुआई, गोबर की खाद बनाने, खाद/कीटनाशकों के इस्तेमाल, बीज के चुनाव, आरोपण, थ्रेशिंग, ओसाई आदि में महिलाओं की भूमिका अहम है। ये महिलाएं पशुओं की देखभाल, दूध उत्पादन, मछली पालन, लकड़ियां चुनने आदि कार्यों में भी सक्रिय हैं। एक अध्ययन के मुताबिक, साल 2004–05 और 2011–12 के दौरान ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की संख्या में बड़े पैमाने पर गिरावट देखने को मिली। इस अवधि में बड़ी संख्या में महिलाएं कृषि कार्यों से अलग हुईं। इसके बावजूद कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। ग्रामीण महिलाओं के खेती संबंधी पारंपरिक कौशल से गरीबी और भुखमरी को कम करने में मदद मिली है। अतः, ज़मीनी स्तर पर महिला केंद्रित सुधारों संबंधी पहल जिसमें संसाधनों की उपलब्धता, कौशल विकास और कृषि क्षेत्र में बेहतर अवसर सुनिश्चित हो, से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में 2.5 से 4 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। कृषि जनगणना 2010–11 की रिपोर्ट अनुसार 118.7 मिलियन किसानों में से 30.3 प्रतिशत महिलाएँ थीं। 2015–16 में महिला किसानों की संख्या 2.02 करोड़ हो गयी। इससे पता चलता है कि कृषि भूमि के प्रबंधन और रखरखाव में महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार लगातार बढ़ रही है। भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं का सबसे अधिक हाथ होता है। 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण महिलाए अपनी आजीविका के लिए खेती करती हैं।[1]

मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका

वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पिछले एक दशक में 56.62 प्रतिशत पर सबसे ज्यादा रही है। यह आंकड़ा 2012–13 में 51.30 प्रतिशत था।

मनरेगा कार्यकर्ताओं के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने मुख्य रूप से योजना के माध्यम से औपचारिक कार्यबल में प्रवेश किया, क्योंकि यह भुगतान वाले काम की गारंटी देता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज्यादा रही है। मनरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 दिनों के अकुशल कार्य की गारंटी देती है।[2]

महिला किसानों को मुख्यधारा में लाना

सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिलाओं को मुख्यधारा का हिस्सा बनाने की पहल की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला केंद्रित योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन को बढ़ावा दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की लाभार्थी आधारित योजनाओं के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन विशेष योजनाओं के तहत, राज्य और योजनाएं लागू करने वाली अन्य एजेंसियों को महिला किसानों पर कुल खर्च का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा वहन करना पड़ेगा। साथ ही, महिला किसानों से जुड़ी दिक्कतों और चुनौतियों को समझने के लिए शोध कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कृषि में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय शोध केंद्र' कई तरह के अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है। इन शोध कार्यक्रमों का उद्देश्य खेती से जुड़ी महिलाओं की समस्याओं को दूर करना और गांवों में बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार करना है।

महिला किसानों के हित में किए गए बेहतर उपायों की वजह से देश में महिला परिचालन जोतों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2010–11 में महिला परिचालन जोतों की संख्या 12.78 प्रतिशत थी और 2015–16 में यह आंकड़ा बढ़कर 13.78 प्रतिशत हो गया है (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 2019)। कृषि पद्धतियों के अलावा, अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीण महिलाएं डेयरी उत्पादों, खली, अंडा, मांस आदि की बिक्री से भी अतिरिक्त कमाई कर रही हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और 'हर घर जल' योजना के तहत, सभी ग्रामीण घरों में रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) और पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की 8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना था। अध्ययनों से पता चला है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से महिला सशक्तीकरण के सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर बेहतर प्रभाव देखने को मिला है।[3]

जल शक्ति मंत्रालय के तहत, ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाने के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक गांव के सभी घरों में नल का कनेक्शन उपलब्ध कराना है। देश के 101 ज़िलों, 1,159 प्रखंडों, 67,473 ग्राम पंचायतों और 1,39,366 गांवों ने 'हर घर जल' का लक्ष्य हासिल कर लिया है। साल 2021 में तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन व दीव में 'हर घर जल' का संपूर्ण लक्ष्य हासिल किया जा चुका है (जल शक्ति मंत्रालय, 2022)।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के तहत सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए अभियान शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गांवों में स्वच्छ वातावरण हेतु खुले में शौच की समस्या से निपटना और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करना है। इन उपायों ने ग्रामीण महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है।

केंद्रीय बजट 2022–23 में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन हेतु बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। वित्त वर्ष 2021–22 में जल जीवन मिशन के लिए फंड आवंटन 45,000 करोड़ रुपये था, जिसे 2022–23 में बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट 2022–23 में स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण के लिए 7,192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।[4]

सुरक्षा और सामाजिक–आर्थिक समानता ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के लिए काफी अहम हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर महिला सशक्तीकरण का हब बनाने, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास (सखी निवास), आश्रयविहीन महिलाओं के लिए आवास उपलब्ध कराने की बात है। ग्रामीण इलाकों में आंगनवाड़ी सेवाएं स्थापित की गई हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और स्वास्थ्य व पोषण की दिशा में जागरूकता फैलाई जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 6 सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सेवाएं हैं– (i) पूरक पोषण (एसएनपी); (ii) स्कूल जाने से पहले अनौपचारिक शिक्षा; (iii) पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा; (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच और (vi) रेफरल सेवाएं। पोषण की समस्या से निपटने, सही समय पर मातृत्व संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है।

ग्रामीण महिलाओं को हिंसा और अन्य तरह के हमलों से बचाने के लिए 'सखी' केंद्र या वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित किए गए हैं, जिसके तहत एक ही जगह पर कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय का प्रबंध आदि (महिला और बाल विकास मंत्रालय 2021)।

कौशल विकास और उद्यमिता संबंधी अवसर

देश के आर्थिक विकास के लिए कार्यबल में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसके लिए ग्रामीण महिलाओं हेतु आजीविका के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास महत्वपूर्ण होगा। इन्वेस्ट इंडिया (2022) के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध विकल्पों के बीच के अंतर को पाटने के लिए प्रभावी जागरूकता अभियान की ज़रूरत है। ये जागरूकता अभियान ग्रामीण महिलाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जैसे गैर–पारंपरिक व्यवसायों को चुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। भारत सरकार ने अंतर–मंत्रालयी स्तर पर कई पहल की हैं, जिनका उद्देश्य महिला किसानों के हितों को बढ़ावा देना है, ताकि आजीविका के बेहतर अवसरों सहित उन्हें सामाजिक–आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना, ग्रामीण महिला किसानों को कौशलयुक्त बनाने से जुड़ी प्रमुख पहल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस परियोजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना –राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उप–घटक के तौर पर पेश किया था। इसे देशभर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ज़रिए लागू किया जाता है। मिशन के माध्यम से तकरीबन 58,295 कृषि सखियों को 735 राज्य–संसाधन व्यक्तियों के ज़रिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के कोर्स (कम से कम 200 घंटे के) किसानों और महिला किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये कोर्स देशभर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा, विशेष तौर से महिला किसानों को किचन गार्डनिंग और न्यूट्रिशन गार्डेनिंग से घरेलू खाद्य सुरक्षा; न्यूनतम खर्च आहार तैयार और विकसित करना, उच्च पोषक दक्षता आहार, प्रोसेसिंग और कुकिंग, ग्रामीण क्राफ्ट, प्रसंस्करण में कम–से–कम पोषक तत्वों का नुकसान सुनिश्चित करने से जुड़े विषयों पर विस्तार निकायों के ज़रिए प्रशिक्षण दिया जाता है।[5]

किसान उत्पादक संगठनों और स्वयंसहायता समूहों की मदद से दूरदराज के इलाकों में महिला केंद्रित कार्यक्रमों को लेकर सामुदायिक स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास के लिए छोटी अवधि के कोर्स शुरू किए गए हैं। ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित कुल 66 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं। आरसेटी अगरबत्ती, सॉफ्ट खिलौने, पापड़, अचार, मसाला पाउडर, ब्यूटी पार्लर प्रबंधन और पोशाक ज्वैलरी आदि बनाने के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराता है। इस योजना के तहत, कुल 64 में से 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम खासतौर पर महिलाओं के लिए हैं।

योजना की शुरुआत से अब तक कुल 26.28 लाख महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है (ग्रामीण विकास मंत्रालय 2022)। ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता संबंधी अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भारत सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। उदाहरण के लिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसईवीपी) चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वरोज़गार के लिए अवसर प्रदान करना, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और स्थानीय सामुदायिक उद्यमों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण मुहैया कराना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2022 के आंकड़ों से पता चलता है कि स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के तहत, करीब 75 प्रतिशत उद्यमों का मालिकाना हक और प्रबंधन महिलाओं के पास है। साथ ही, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत, ग्रामीण युवाओं के लिए देशभर में नियोजन आधारित कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित महिला शक्ति केंद्रों के ज़रिए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में मदद मिली है। इसके तहत सामुदायिक भागीदारी और स्त्री शिक्षा, मातृत्व संबंधी देखभाल, स्वास्थ्य आदि सुनिश्चित करने की बात है।[6]

वित्तीय सशक्तीकरण

वित्तीय समावेशन में ऐतिहासिक बदलाव अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन–धन योजना

की शुरुआत के साथ आया था। आरबीआई के अनुसार, 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शुरुआत से ही इसके लाभार्थियों की संख्या 43.04 करोड़ से अधिक हो गई थी। सात वर्षों की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत परिवर्तनकारी और साथ ही दिशात्मक परिवर्तन दोनों प्रकार के उपाय किए गए हैं जिससे उभरते हुए वित्तीय समावेशन तंत्र को समाज के अंतिम व्यक्ति–गरीबों में सबसे गरीब को वित्तीय सेवाएं देकर सक्षम बनाया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि 55 प्रतिशत जन–धन खाताधारक महिलाएं हैं और 67 प्रतिशत जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों की बैंक शाखाओं में खोले गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने से इस योजना को और गति मिली। वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से जन–धन दर्शक नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को वित्तीय सेवाएं सुगमता से प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। मोबाइल–बैंकिंग और भारतीय डाक की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। 154000 से अधिक डाकघरों के साथ, जिनमें से 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, यह वह मित्रवत डाकिया है जिससे आप प्रतिदिन मिलते हैं, वह आपका बैंकिंग संबंध प्रबंधक हो सकता है.वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019–24– सभी हितधारकों के साथ विचार–विमर्श और प्राप्त फीडबैक के आधार पर 2019–2024 की अवधि में वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति को वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति के तत्वावधान में रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया था और वित्तीय स्थिरता विकास परिषद द्वारा व्यापक रूप से अनुमोदित किया गया था। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2019–2024 के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्रवाई के व्यापक अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का विस्तार करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए भारत में वित्तीय समावेशन नीतियों के दृष्टिकोण और प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है।[7]

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के ज़रिए वित्तीय समावेशन और बैंकिंग तक पहुंच सुनिश्चित हुई है जिससे संगठित क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की संभावनाएं बढ़ी हैं। जन–धन योजना से ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं, मसलन बचत/जमा खातों, पैसे भेजने, कर्ज़, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुविधा का भी फायदा मिलता है। इस योजना के लागू होने के बाद से देश में 43.04 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इनमें 55.47 प्रतिशत (23.87 करोड़) खाते महिलाओं के हैं और ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में 66.69 प्रतिशत (28.70 करोड़) जन–धन खाते हैं।[8]

निष्कर्ष

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया को तेज़ किया जा सकता है। कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा, सुरक्षित माहौल, स्वामित्व और नई तकनीक आदि ग्रामीण महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। महिला किसानों के सशक्तीकरण से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में मदद मिलेगी। आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिल रही है। इसकी सहायता से महिलाएं गांव में ही अपना खुद का रोजगार विकसित कर रही हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त में बांटे गये घरेलू गैस कनेक्शन ने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं के सशक्तिकरण का कार्य किया है। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं के कुल 16.42 करोड़ खाते खोले गये हैं। यह वित्तीय समावेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता को दिखाता है।

REFERENCES

1. खेती में ग्रामीण महिलाओं का बढ़ता योगदान, दैनिक जागरण, 4 अगस्त, 2020
2. 2022–23 में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रही महिला श्रमिकों की भागीदारी, लोकसभा में सरकार ने जारी किया आंकड़ा, एवीपी न्यूज, 23 फरवरी, 2023
3. उज्ज्वला योजना महिला सशक्तीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण, मिल रहा, दैनिक भास्कर, 26 सितम्बर, 2022
4. गांवों में महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा 'हर घर जल योजना', यूनिवार्ता समाचार, 2 अक्टूबर, 2022
5. प्रगति रिपोर्ट 2021–22, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 78
6. प्रगति रिपोर्ट 2021–22, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 106
7. वाधवा, मंजुला आलेख ''भारत में वित्तीय समावेशन की रफ्तार : स्थिति, चुनौतियां और आगे का रास्ता'', रोजगार समाचार पत्र, अंक संख्या 02, 9–15 अप्रेल, 2022
8. सरकार ने 20 करोड़ महिला जनधन खातों में भेजे 500 रुपए, आपको भी मिले या नहीं, दैनिक जागरण, 1 सितम्बर, 2020